



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“आपरेेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 06 वर्ष 10 माह के साधारण कारावास व 10000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.06.2016 को थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0- 403/2016 धारा- 394 भादवि बनाम तौफीक पुत्र इरशाद नि0 ढयौटी नानकमत्ता जनपद उधम सिंहनगर , उत्तराखण्ड पंजीकृत किया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक- 24.01.2024 को मा0 न्यायालय CJM, रामपुर द्वारा अभियुक्त तौफीक पुत्र इरशाद उपरोक्त को **06 वर्ष 10 माह के साधारण कारावास व 10000 रू0** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त तौफीक पुत्र इरशाद **06 वर्ष 10 माह के साधारण कारावास व 10000 रू0** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता:-

तौफीक पुत्र इरशाद नि0 ढयौटी नानकमत्ता जिला उधम सिंहनगर , उत्तराखण्ड

 @rampurpolice

 रामपुरपुलिस

 @रामपुरपुलिस

 7839859826